न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
3/2020	15/06/2020	30/1/2026

1. बिरधीलाल पुत्र चतरा जाति नाई निवासी खेडली बैरीसाल तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. हजारीलाल पुत्र चतरा जाति नाई निवासी खेडली बैरीसाल तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रार्थीगण

बनाम

1. चतरा पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी खेडली बैरीसाल
2. किशनचन्द्र पुत्र मथुरा
3. ग्यारसी पत्नी मथुरा
4. गीतरा बाई पुत्री मथुरा
5. राकेंश पुत्र मथुरा
6. राजेन्द्र पुत्र मथुरा
7. सुगना पुत्री मथुरा जातियान बैरवा निवासीगण जौरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० शल निवासीगण – खेड़ली बेरोसान
8. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पीपल्दा जिला कोआ राज०

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री प्रद्युम्न शर्मा एड0।

प्रार्थना पत्र बाबत् 251। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण कि कृषि आराजी ख0नं0 800 रकबा 0.56 है०, ख०नं० 801 रकबा 3.37 है० कुल किता 2 कुल रकबा 3.93 है० खं० नं0 838/865 रकबा 0.90 है० वाके माल ग्राम खेडली बैरीसाल पटवार हल्का जौरावरपुरा भू. अभि.नि. करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित है। उक्त कृषि आराजी पर वर्तमान मे कृषि कार्य एवं आने–जान हेतु कोई भी रास्ता विद्यमान नही है। जिससे प्रार्थीगण को कृषि कार्य करने बाबत् परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण कि कृषि आराजी के समीप ख0नं0 802,803,804 स्थित है जिसमे प्रार्थीगण लगभग 40 वर्ष पूर्व से ही रास्ते का अपने कृषि कार्य व आने–जाने हेतु उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त ख० नं० 802,803,804 अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उक्त खरान नम्बरान कि कृषि आराजी मे से प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजी तक कृषि कार्य एवं आने–जाने हेतु धारा 251A R-T-ACT के प्रावधानों के अनुसार कृषि कार्य हेतु रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित एवं समीचीन है। एवं प्रार्थीगण के खसरा नम्बरान के समीप ही ख0नं0 838/867 रकबा 0.40है0 सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें से भी प्रार्थीगण को कृषि कार्य हेतु रास्ता कृषि उपयोग उपभोग के लिए दिया जाना न्यायोचित होगा। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे श्रीमान के यहाँ उक्त कृषि आराजी के रास्ते हेंतु प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2019 को दिया एवं द्वितीय प्रार्थना पत्र दिनांक 31.05.2020 को दिया गया जिसकी फोटोप्रति साथ संलग्न है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण अपनी कृषि आराजी पर जाने से रोकते है। जिससे प्रार्थीगण को कृषि यंत्रों एवं हकाई, जुताई करने मे बाध् ओं का सामना करना पडता है। अप्रार्थीगण जब भी प्रार्थीगण अपने खेत पर जाते है। तो गाली गलोच करते है। एवं लडाई झगडा करने पर आमादा हो जाते है। धमकी दी जाती है। प्रार्थीगण का एक मात्र सहारा जमीन है। यदि उक्त कृषि आराजी के पडत रहने की स्थिति आ जाती है। तो प्रार्थीगण का परिवार भूखे मरने की स्थिति आ जायेगा। प्रार्थीगण सरकारी मापदण्डों के अनुसार रास्ते हेतु उचित शुल्क जमा करने हेतु तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया

कि प्रार्थीगण को समीप स्थित अप्रार्थी की कृषि आराजी ख0नं0 802,803,804 ग्राम खेडली बैरीसाल पटवार हल्का जौरावरपुरा भू.अभि.नि० कुरवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे से एवं समीप में स्थित सिवायचक में से अपने खेत कृषि आराजी तक आने जाने एवं कृषिकार्य हेतु बाबत् रास्ता दिलवाया जानें का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री प्रद्युम्न शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। मुताबिख तहसील रिपोर्ट मोका स्थिति अनुसार एवं सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार ग्राम पीपल्दा से करवाड डामरस डक से पुर्वी दिशा की ओर बिन्दु ए से बी की ओर एक आम रास्ता कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर के पहियों के निशानत सहित पाया गया उक्त रास्ता नजरी नक्शा अनुसार कुछ स्थानों पर बन्द (ट्रेक्टर के पहिए निशानात नहीं है) है चालु हालात में नहीं है। सलंग्न नजरी नक्शा अनुसर बिन्दु बी से वादीगणों के खेत के बिन्दु खसरा सी तक जाने हेतु ख0नं0 838/867 रकबा 0.40है0 किस्म बारानी द्वितीय सिवायचक खाता सरकार की मेढ से होकर वादीगण रास्ता चाहते है। जो कि मौके पर प्रतिवादी राकेश पुत्र मथुरा जाति बैरवा नि0 खेडली बेरीसाल द्वारा अतिक्रमण कर लिया है। जिसको वर्तमान में उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर रखा है। मौका स्थिति व नजरी नक्शानुसार बिन्दु बी से सी तक ख0नं0 838/867 रकबा 0.40है0 सिवायचक खाता सरकार भूमि की पुर्वी मेढ से होकर न्यायिक प्रक्रिया अनुसार प्रतिवादी की सुनवाई किया जाकर वादीगणो को कृषि कार्य हेतु रास्ता प्रदान करने का निर्णय पारित किया जाना उचित होगा। बिन्दु ए से बीत क प्रचलित रास्ता खातेदारान के खेतों एवं मेढों पर से होकर गुजरता है। नक्शे में कोई भी रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज नहीं है। मौका स्थिति अनुसार एक मात्र यही रास्ता प्रचलित है। जिसका उपयोग वादी कृषि कार्य हेतु करता हुआ आया है। अन्य कोई रास्ता प्रचलित अवस्था में नहीं पाया गया।

बहस सुनी गई। बहस के तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व जवाब सरकार का मनन व अवलोकन किया गया। मुताबिख तहसील रिपोर्ट ख0नं0 838/867 रकबा 0.40है0 सिवायचक है जिसमें वर्षो से कृषि कार्य हेतु उपयोग होता आया है तथा यह एक मात्र प्रचलित रास्ता है। धारा 251 ए आरटीएक्ट के तहत केवल आत्यंतिक आवश्यकता के प्रकरणों में निकटतक मार्ग प्रदान किया जाता है। ख0नं0 838/867 में अतिक्रमण होना अंकित रिपोर्ट में किया गया है। पूर्व में मौके पर प्रचलित रास्तों जिन पर अतिक्रमण है को खुलवाने हेतु तहसीलदार धारा 251 आरटीएक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा